क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD ALIGARH

पत्रांक 1164 / NOC-2447/16 दिनांक 19-10-16

सेवा में,

मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (रिटेल आउटलेट)
द्वारा श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री हरीश चन्द्र
निवासी–अतुर्रा, तहसील–सादाबाद
जनपद–हाथरस।

विषयः– **पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोंण से नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र, जो इस कार्यालय में निवेश मित्र योजनान्तर्गत ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 25.09.2016 को प्राप्त है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर विचार किया गया। पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोंण से निम्नलिखित विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के साथ अनापत्ति स्वीकृत की जाती है–

(क)	स्थल	गाटा संख्या–161, ग्राम–अतुर्रा, तहसील–सादाबाद, जनपद–हाथरस।
(ख)	उत्पादन	शून्य
(ग)	कच्चा माल	भण्डारण एक समय में डीजल (22 कि.ली. एवं 16 कि.ली.) पैट्रोल (16 कि.ली.) ल्यूब्रीकेन्ट 1000 लीटर
(घ)	घरेलू एवं औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा	घरेलू उत्प्रवाह – 2.0 कि.ली/दिन एवं औद्योगिक उत्प्रवाह – शून्य
(ड़)	प्रयुक्त ईधन एवं उसकी मात्रा	15 के.वी.ए क्षमता के गैस चलित जनरेटर सेट हेतु गैसीय ईधन का प्रयोग आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

1. यह घरेलू बहिश्राव सैप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर सैप्टिक टैंक/सोकपिट में निस्तारित किया जाये।
2. रिटेल आउटलेट पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण एवं हरित पट्टिका विकसित की जाये।
3. रिटेल आउटलेट की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाये कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा कोई भी क्रिया–कलाप जनहित के प्रतिकूल नहीं किया जाये।
4. रिटेल आउटलेट द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. रिटेल आउटलेट द्वारा पेट्रोल/डीजल के आकस्मिक रिसाव अथवा किसी प्रकार की अवांछित घटना

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001 Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.com

Place: Agra, Date: 05-03-2018

जैसे आग इत्यादि हेतु अग्निशमन विभाग आदि सम्बन्धित विभागों के निर्देशों के अनुरूप उचित व्यवस्था की जाये तथा ऑन साइड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार कराकर एक माह में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये।

6. रिटेल आउटलेट के विरूद्ध यदि प्रदूषण सम्बन्धी जन शिकायत प्राप्त होती है तो आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।

7. रिटेल आउटलेट में विस्फोटक विभाग की निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

8. उपरोक्त मिनी डिपो की स्थापना हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिला प्रशासन, विस्फोटक, कारखाना विभाग इत्यादि से वांछित अनुमति/लायसेंस प्राप्त कर लिया जाये।

9. रिटेल आउटलेट में प्रस्तावित 15.0 के.वी.ए क्षमता के डी.जी. सैट के संचालन से उत्पन्न ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित एकॉउस्टिक एन्क्लोजर की स्थापना की जाये। चूंकि उक्त प्रस्तावित स्थल टी.टी.जैड. में होने के कारण डी.जी.सैट में मात्र ईंधन के रूप में एल.पी.जी. गैस का प्रयोग किया जाना ही अनुमन्य है तथा अन्य ईंधन जैसे डीजल, मिट्टी का तेल, पैट्रोल आदि का प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित है। डी.जी. सैट संचालन से उत्सर्जित उत्सर्जन की वायुमण्डल में निकासी हेतु एक चिमनी जो कि चैम्बर के छत के तल से 1.5 मीटर ऊंची हो, स्थापित की जाये तथा ध्वनि का स्तर मानकों के अनुरूप हों।

10. रटेल आउटलेट द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत अपने शपथ पत्र दिनांक 19.10.2016 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में जारी की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

11. अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जाये तथा भण्डारण प्रारम्भ करने से दो माह पूर्व सहमति (जल)/सहमति (वायु) हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर दिया जाये। बिना सहमति प्राप्त किये रिटेल आउटलेट का संचालन किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का उल्लंघन है तथा अवैधानिक है।

12. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये, शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र को बिना किसी पूर्व नोटिस के अस्वीकृत किया जा सकता है तथा इसके फलस्वरूप रिटेल आउटलेट के विरूद्ध कृत कार्यवाही का उत्तरदायित्व स्वयं रिटेल आउटलेट का होगा।

उपरोक्त सभी शर्तो के अनुपालन की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनाँक 31.03.2017 तक वैध है। शर्तो के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

(कालिका सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :— जिलाधिकारी महोदय, हाथरस को उनके पत्र दिनांक 06.09.2016 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

Place : Agra
Date: 05-03-2018